

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 66 : Form and manner of submission of return by a person required to deduct tax at source

- (1) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 (hereafter in this rule referred to as deductor) shall furnish a return in **FORM GSTR-7** electronically through the common portal either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The details furnished by the deductor under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the ¹[deductees] on the common portal after ²[****] filing of **FORM GSTR-7** ³[for claiming the amount of tax deducted in his electronic cash ledger after validation].
- (3) The certificate referred to in sub-section (3) of section 51 shall be made available electronically to the deductee on the common portal in **FORM GSTR-7A** on the basis of the return furnished under sub-rule (1).

1 Substituted for "suppliers in **Part C** of **FORM GSTR-2A** and **FORM-GSTR- 4A**" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

2 The words "the due date of" omitted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

3 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

नियम 66 : ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) प्ररूप **जीएसटीआर-7** में इलेक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों को इलेक्ट्रानिकी रूप में ¹[प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कटौती की गई है, सामान्य पोर्टल पर] प्ररूप **जीएसटीआर-7** फाइल करने ²[.....] के पश्चात् ³[विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए] उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को, प्ररूप **जीएसटीआर-7क** के सामान्य पोर्टल द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर इलेक्ट्रानिकी रूप में जिसकी कटौती की गई है को उपलब्ध कराया जाएगा।

1 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "प्ररूप **जीएसटीआर-2** के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटीआर-4क में**" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण में हुए संशोधन में अंतर है।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "की सम्यक तारीख" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
सीजीएसटी (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा संशोधन उचित स्थान पर नहीं किए गए हैं।